

कम्प्यूटर परिपत्र सं० 1415/31

दिनांक- 23-03-2015

पत्रसं०-ज्वा०कमि० (वि०अनु०शा०) मु०/ स०प०/14-15 / गेहूँ करापवंचन/

3403

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०

(वि०अनु०शा०-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 23 मार्च 2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश।

विषय:- रबी विपणन वर्ष 2015-16 में प्रान्त बाहर जाने वाले गेहूँ से होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन के सम्बन्ध में।

आप अवगत है कि रबी सीजन वर्ष 2015-16 प्रारम्भ हो चुका है। गत वर्ष आपको ठोस एवं सार्थक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए गेहूँ से अधिक कर संग्रहित किये जाने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु आप द्वारा की गयी कार्यवाही परिणाम मूलक नहीं पायी गयी है।

अतः गेहूँ से हो रहे करापवंचन को रोकने की दिशा में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-

1- सीजन वर्ष 2015-16 में अपने जोन की सीमा में गेहूँ का परिवहन करने वाले वाहनों की अधिक से अधिक जाँच कराते हुए शतप्रतिशत बिलों का संग्रहण कर उनकी तत्काल आन लाइन फीडिंग करायी जाय एवं करनिर्धारण अधिकारियों को कार्यवाही हेतु प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

2- एक्स यू०पी० ट्रेडर्स के लिए यू०पी० के व्यापारियों द्वारा की जा रही खरीद एवं खरीदे गये गेहूँ के मूल्य के भुगतान एवं सम्बन्धित परिवहन पर भी सतर्क दृष्टि रखते हुए प्रवर्तन कार्य कराया जाय।

3- रेल मार्ग से परिवहित किये जा रहे गेहूँ की जाँच, मण्डियों एवं फ्लोर मिलों में आने वाले गेहूँ के सम्बन्ध में भी जाँच कराया जाना आवश्यक है जिससे गेहूँ पर होने वाले वाणिज्य कर अपवंचन की रोकथाम हो सके।

अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपर्युक्त निर्देशों से अवगत कराते हुए अनुपालन कठोरता से सुनिश्चित कराये तथा अपने स्तर से नियमित अनुश्रवण करते हुए करापवंचन को रोकने हेतु सार्थक एवं परिणाम मूलक कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए पत्र के साथ संलग्न प्रारूप-01 व 03 की सूचना मुख्यालय के सचलदल अनुभाग तथा प्रारूप-02 व 04 की सूचना वि०अनु०शा० अनुभाग को मासिक रूप से प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

(बी०राम शास्त्री)

एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर,

उत्तर प्रदेश।

पृष्ठाकन पत्र संख्या व दि० उक्त।

प्रतिलिपि- ज्वाइन्ट कमिश्नर (सचलदल) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अरविन्द कुमार)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर,

मुख्यालय, लखनऊ।

